

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
Telephone No 0141-2222683- E-mail-add4ng@gmail.com

क्रमांक:-ई-20 / m-32/nursing/ajmer-32261-7008682 / 2025 / 150 दिनांक :- 27/3/2025

आदेश

श्रीमती मूर्ति देवी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उप स्वास्थ्य केन्द्र मोटा का खेडा, खण्ड करेडा, जिला भीलवाडा जिनकी जन्म तिथि 10.06.1969 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 02.03.2009 है को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2025 को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। इनका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिवस अकार्य दिवस माना जावेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-20 / m-32/nursing/ajmer-32261-7008682 / 2025 / 150 दिनांक :- 27/3/2025
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जौन-अजमेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी करेडा, जिला भीलवाडा।
4. श्रीमती मूर्ति देवी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. डीपीसी अनुभाग (नर्सिंग)/राजहैल्थ अनुभाग मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :20-03-2025 07:37:35